

बिहार सरकार
आपदा प्रबंधन विभाग

॥ प्रेस विज्ञप्ति ॥

दिनांक—24.04.2020

समय—07:00 बजे अप०

COVID-19 Virus के संक्रमण से उत्पन्न स्थिति के आलोक में निम्नलिखित कार्रवाई की गयी है:—

1. शहरी क्षेत्र में निर्धन, निराश्रित आदि के लिये आपदा राहत केन्द्र का संचालन :— राज्य के शहरी इलाकों में निर्धन, निराश्रित आदि व्यक्तियों के लिये आपदा राहत केन्द्र संचालित किये जा रहे हैं, जिसमें आवासन के साथ-साथ निःशुल्क भोजन की भी व्यवस्था की जा रही है। आज विभिन्न जिलों में कुल 202 आपदा राहत केन्द्र संचालित किये गये, जिसमें लगभग 71600 लोगों को निःशुल्क भोजन कराया गया। आपदा राहत केन्द्रों में social distancing पर विशेष ध्यान रखने का निदेश दिया गया है।

2. अन्य राज्यों से लौटे बिहारी मजदूरों/ अन्य व्यक्तियों के लिये विद्यालय क्वॉरंटीन कैम्प का संचालन :— Lockdown के कारण राज्य के बाहर से लौटे बिहारी मजदूरों/ अन्य व्यक्तियों के लिये उनके गाँव के विद्यालय में विद्यालय क्वॉरंटीन कैम्प का संचालन किया जा रहा है। उक्त विद्यालय क्वॉरंटीन कैम्पों में इन व्यक्तियों को 14 दिनों तक के लिये क्वॉरंटीन में रखा जा रहा है एवं राज्य सरकार के स्तर से उन्हें निःशुल्क भोजन कराया जा रहा है। विभिन्न जिलों में संचालित कुल 1027 विद्यालय क्वॉरंटीन कैम्प में लगभग 9000 व्यक्तियों को रखा गया है।

3. राज्य में लागू lockdown के आलोक में कानून/सरकारी आदेश का उलंघन करने पर अबतक कुल 1572 FIR दर्ज कराया गया है। साथ ही अबतक कुल 76942 वाहनों के विरुद्ध मोटरयान अधिनियम की धारा 179 के तहत कार्रवाई की गयी है।